

किसानों को क्रेडिट कार्ड से मिलेगा ऋण - बैंकों में चलेगा विशेष अभियान

By : Editor Published On : 11 Feb, 2020 02:49 PM IST



आई एन वी सी न्यूज
रायपुर,

प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों के लिए रियायती संस्थागत ऋण की सुविधा लेने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु विशेष अभियान रायगढ़ जिले में 12 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। सभी पात्र किसानों को इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी किया जाएगा। भूमि रिकार्ड की एक प्रति और बोई गई फसलों का विवरण जमा करके केसीसी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक पेज का फार्म आईबीए द्वारा तैयार किया गया है और सभी सरकारी, वाणिज्यिक बैंकों एवं पीएम किसान पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पीएम किसान लाभार्थी उस बैंक शाखा में जाकर जहां उनका पीएम किसान खाता है, केसीसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी रखने वाले पीएम किसान लाभार्थी आवश्यकता होने पर सीमा बढ़ाने के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

निष्क्रिय केसीसी कार्ड वाले लोग केसीसी की सक्रियता और नई सीमा की मंजूरी के लिए बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है वे केसीसी के तहत सीमा की मंजूरी के लिए अपने बोये गये फसलों के विवरण एवं भूमि रिकार्ड विवरण के साथ बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसान जिनके पास केसीसी है, लेकिन पशुधन और मत्स्य पालन के लिए स्वीकार्य सीमा को शामिल करना चाहते हैं, उन्हें भी अपनी बैंक शाखा से जानकारी लेना चाहिए।

सभी बैंक शाखाओं से पीएम किसान लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है और इसे केसीसी लाभार्थियों की सूची के साथ मैप कर उन पीएम किसान लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिनके पास उस शाखा में केसीसी नहीं है। यह जानकारी ग्राम सरपंच और बैंक सखी के साथ भी साझा की जाएगी। इसके लिए फार्म कॉमन सर्विस सेंटर से भरे जा सकते हैं। आईबीए द्वारा बैंकों को 3 लाख रुपये तक की राशि के केसीसी ऋणों के लिए सभी बैंक प्रभार जैसे कि प्रसंस्करण, प्रलेखन, निरीक्षण और लेजर फोलियो शुल्क एवं अन्य सेवा शुल्क में छूट देने के लिए अनुरोध किया गया है।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/किसानों-को-क्रेडिट-कार्ड/>



12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com